न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

(प्रथम लिंक अधिकारी)

2025-197RAABarmer2025-101RTA223 Kamala ors Vs Gokala etc

1. श्रीमती कमला पत्नी गेनाराम
2. चेतनराम पुत्र हीराराम
3. पदमोदेवी पत्नी नारणाराम
4. प्रेमीदेवी पत्नी हीराराम
5. लाभुराम पुत्र हीराराम
6. सुरेश पुत्र हीराराम
   जाति भील निवासी भीलो की ढाणी चक नम्बर 1 उडांसर तहसील धोरीमन्ना जिला बाडमेर।

अपीलाण्ट्स ...

ब
ना
म

1. गोकला पुत्र नानगाराम
2. खरथाराम पुत्र मदाराम
3. भेराराम पुत्र मदाराम
4. लुणाराम पुत्र मदाराम
5. लुम्बाराम मदाराम
6. चतरू पत्नी मेहराज
7. फुसा पुत्र मेहराज
8. सुजानाराम पुत्र मेहराज
   जाति माली निकी भीलो की ढाणी चक नम्बर 1 उडासर।
9. कमला पत्नी रामेश्वरप्रसाद जाति माहेश्वरी निवासी भीलो की ढाणी चक नम्बर 1 उडासर तहसील धोरीमन्ना जिला बाडमेर।
10. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा
11. शाखा प्रबन्धक ग्रामीण बैंक धोरीमन्ना
12. तहसीलार धोरीमन्ना

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06 जुलाई 1965 सहायक कलक्टर बाड़मेर राजस्व मूल वाद संख्या 33/1965 नानगा व अन्य बनाम खेता इत्यादि

उपस्थित—
श्री मोहनलाल विश्नोई, अधिवक्ता—अपीलाण्ट्स

—:नि र्ण य:—

दिनांक : 18 मार्च 2026

अपीलाण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 33/1965 अनवान नानगा व अन्य बनाम खेता इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06 जुलाई 1965 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजरथान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 12 मई 2025 को प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलांट्स की ओर से अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या एक से सात के पूर्वज नानगाराम एवं मदाराम ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 एवं 188 के तहत वादग्रस्त आराजीयात ग्राम उडासर के खसरा नम्बर 533, 139, 523, 539, 542, 741, 558, 572 के संबंध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी की ओर से इकबाली जवाब प्रस्तुत किये जाने पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये वादीगण/रेस्पो. के पूर्वजों का वाद स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलकर्तागण के पूर्वजो का तथाकथित इकबाली जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है, उसमें अपीलकर्तागण के पूर्वज खेता के फर्जी अंगुष्ठ निशान किये गये है एवं पटवारी हल्का द्वारा पहचान देना बताया गया है, जबकि इकबाली जवाबदावा में पटवारी की पहचान मान्य नहीं होती है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गौर किये बिना ही आलोच्य निर्णय व डिक्री पारित किये गये है। आलौच्य खेत जो अपीलकर्ता अनुसुचित जनजाति (भील) समुदाय के है तथा अनुसुचित जाति की खातेदारी के भूमि को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित, डिक्री या निर्णय करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि विवादित खेतो की भूमि पर कभी भी उतरदातागण के पूर्वजो का कब्जा व काश्त नहीं रहा है। वादगस्त खेतो पर सेटलमेन्ट से पूर्व से लेकर आज दिन तक अपीलकर्तागण का ही कब्जा व काश्त है। विवादित खेत खसरा नम्बर 533, व 139 अपीलकर्तागण के पूर्वज खेता के अन्य खेतो के बीचो आया हुआ है। बीच के खेत में कब्जा अन्य का होना संभव नहीं है तथा उक्त विवादित खेतो के चारो ओर के सभी खेत भीलो के ही है, बीच में माली का खेत संभव ही नहीं है। विवादित खेतो बाबत् मदा व नानगा के वारिसानो ने कुछ हिस्सा कमला को बेचान कर दिया तथा बाद में बंटवाडा कर मूल खसरा नम्बर 533 व 139 के टुकडे कर वर्तमान में खेत खसरा नम्बर 533, 599/139, 600/139, 597/139, 598/139, 601/139, 602/139 करवा दिये है, लेकिन उक्त राजस्व फेरबदल वास्तव में कागजी तौर पर करवाये गये है, मौके पर उक्त खेतो पर शुरू से लेकर आज दिन तक अपीलकर्तागण के पूर्वजो का व उनके स्वर्गवास के बाद अपीलकर्तागण का ही कब्जा व काश्त चला आ रहा है। कानूनन धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उक्त भूमि की खातेदारी वादीगण को नहीं दी जा सकती है। ऐसी स्थिति में आलौच्य निर्णय एवं डिक्री अपास्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने कथन किया कि आलौच्य निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलकर्तागण के पूर्वज खेता को

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

होने नहीं दी तथा उतरदातागण के पूर्वज नानगा व मदा ने चालाकी पूर्वक तत्समय के राजस्व अधिकारियो को प्रभावित करते हुए खेता के फर्जी अंगुष्ठ निशान करवाकर फर्जी इकबाली जवाब अधीनस्थ न्यायालय में पेश करवा कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करवा दी, जिसकी जानकारी तत्समय न तो अपीलकर्तागण के पूर्वजो को रही तथा न ही उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलकर्ता को हुई। हाल ही में उतरदातागण ने अपीलकर्तागण के कब्जे एवं काश्त की भूमि में दखलदांजी करते हुए अपीलकर्तागण को जबरन बेदखल करने की धमकीया देते हुए उक्त खेतो को अपने पूर्वजो के पक्ष में निर्णय व डिक्री होने की जानकारी दी, तब अपीलकर्तागण ने उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी प्राप्त करते हुए उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि लेने हेतु आवेदन किया जो नकल दिनांक 08.04.2025 को प्राप्त हुई। तब सर्वप्रथम उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जानकारी से यह अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जावे एवं गुणावगुण पर अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 33/1965 अनवान नानगा व अन्य बनाम खेता इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06 जुलाई 1965 को अपास्त किया जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित समझते है। अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06 जुलाई 1965 के विरूद्ध दिनांक 06 मई 2025 को 60 वर्ष की अत्यधिक लंबी अवधि बाद प्रस्तुत की गई है। अपीलांट्स का विलंब का मुख्य कारण यह बतलाया गया है कि उनके पूर्वज खेता का इकबाली जवाब फर्जी अंगुष्ठ निशान के साथ प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध **अपीलांट्स के पूर्वज की ओर से प्रस्तुत ईकबाली जवाब के अवलोकन मुताबिक प्रतिवादी खेता द्वारा अपने जवाबदावा में स्वीकार किया है कि वादग्रस्त आराजीयात पर उसका कोई कब्जा काश्त नहीं है तथा वह आईंदा वादीगण के कब्जे काश्त में दखल या रोक टोक नहीं करेगा।** यह उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी खेता की पहचान तत्समय के हल्का पटवारी उड़ासर श्री जसवंतसिंह वल्द पारसदान जी कौम चारण सा. मिरगेस्वर तहसील बाली द्वारा की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा **उक्त ईकबाली जवाब एवं उभय पक्ष की सहमति से अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने प्रकट होते है। कानूनन सहमति से पारित निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध अपील पोषणीय नहीं है।** यह उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी खेता द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के संबंध में अपने जीवन काल में किसी प्रकार की उज़दारी किये जाने के तथ्य अपीलांट्स की ओर से किसी प्रकार के तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये है। अपीलांट्स द्वारा केवल अपने पूर्वज का फर्जी अंगुष्ठ किये जाने का कारण बतलाते हुए 60 साल की इतनी लंबी अवधि के विलंब को

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

शमन किये जाने का निवेदन किया गया है। अदालत हाजा की राय में अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का उक्त कारण सद्भाविक एवं विश्वास योग्य नहीं पाया जाता है। लिहाजा प्रस्तुत अपील कालवर्जित पायी जाती है।

वस्तुतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम खारिज किया जाता है एवं अपील अपीलांट्स कालवर्जित पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 33/1965 अनवान नानगा व अन्य बनाम खेता इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06 जुलाई 1965 यथावत रखे जाते है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर